THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2018

(U. P. Act No. 39 of 2018)

—–

ARRANGEMENT OF SECTIONS

--

Sections :

1- Short title

2- Repeal Of Certain Enactments

3- Savings

-Schedule.

क्रम-संख्या–202

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 10 सितम्बर, 2018
भाद्रपद 19, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग–1

संख्या 1924 / 79-वि-1–18-1(क)-16-2018
लखनऊ, 10 सितम्बर, 2018

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2018 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2018

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2018)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन

2—नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

व्यावृत्ति

3—इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,—

(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;

(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे ;

(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा ;

(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;

(ङ) लेखा—परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा—परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।

——————

अनुसूची

(धारा 2 देखें)

निरसित किये जा रहे अधिनियम

1	उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1919	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1919)
2	उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड प्राइमरी एजुकेशन अधिनियम, 1926	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1926)
3	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1947	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1948)
4	यूनाइटेड प्राविंसेस टाउन एरियाज (संशोधन) अधिनियम, 1948	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1948)
5	यूनाइटेड प्राविंसेस सुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल (संशोधन) अधिनियम, 1948	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1948)
6	यूनाइटेड प्राविंसेस बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1948	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1948)
7	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1950)
8	उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्वीजीशन (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1950)
9	उत्तर प्रदेश शुगर फैक्ट्रीज कण्ट्रोल (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1950)
10	उत्तर प्रदेश टाउन एरियाज (वैधीकरण और संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1950)

11	उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1950)
12	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1950)
13	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1950	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1951)
14	उत्तर प्रदेश सक्कर और चालक मद्यसार उद्योग श्रमिक कल्याण और विकास निधि (अनुपूरक) अधिनियम, 1953	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1953)
15	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1953	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1953)
16	उत्तर प्रदेश पंचायत राज पदावार्ध (अनुपूरक) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1954)
17	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1954)
18	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1955)
19	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 1954	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1955)
20	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1957)
21	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1957)
22	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1957)
23	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1957)
24	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1957	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1958)
25	उत्तर प्रदेश जिला परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1958	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1958)
26	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1958	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1958)
27	उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) अधिनियम, 1958	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 1958)
28	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1959	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1959)
29	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1959	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1959)
30	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1959	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1960)
31	उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (संशोधन) अधिनियम, 1960	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1960)
32	उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1960	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1960)
33	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1960	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1960)
34	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1961)
35	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1961)
36	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1961)
37	उत्तर प्रदेश (निर्माण–कार्य विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1961)
38	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1961)
39	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1961	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1961)
40	उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1962)
41	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1962)

42	उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1962)
43	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1962	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1963)
44	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1963)
45	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1963)
46	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1963)
47	उत्तर प्रदेश सरकारी बिजली व्यवसाय संस्था (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 1963)
48	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1963	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1964)
49	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय -कर) (संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1964)
50	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1964)
51	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1964)
52	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1964	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1964)
53	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1965)
54	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1965)
55	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1965)
56	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1965	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1965)
57	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1966	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1966)
58	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1966	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1966)
59	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) अधिनियम, 1966	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1966)
60	उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1967	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1967)
61	उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1969	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1969)
62	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1970)
63	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (पुनः अधिनियमन और चालू रखा जाना) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 1970)
64	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1970)
65	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1970)
66	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय -कर) (संशोधन) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1971)

67	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1971)
68	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1971)
69	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1970	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1971)
70	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1971	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 1971)
71	उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1972)
72	उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1972)
73	उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1972)
74	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रीसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1972)
75	उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1972)
76	मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1972	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1972)
77	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, 1973	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1973)
78	उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1973	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1973)
79	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1973	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1973)
80	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1974)
81	उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17 सन् 1974)
82	उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1974)
83	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय -कर) (संशोधन) अधिनियम, 1974	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1974)
84	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (जारी रखने का) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1975)
85	उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1975)
86	उत्तर प्रदेश बिक्री–कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38 सन् 1975)
87	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय -कर) (संशोधन) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 40 सन् 1975)
88	उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1975	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54 सन् 1975)
89	उत्तर प्रदेश सहकारी विधि (संशोधन और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1976)
90	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1976)
91	उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1976)
92	उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 44 सन् 1976)
93	उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 50 सन् 1976)
94	उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1976	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 54 सन् 1976)
95	उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय	(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 55 सन् 1976)

	निवारण) (उपान्तर सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1976	

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य की विधिक प्रणाली को सामान्य व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत अधिक सुगम बनाने और विधि सम्मत शासन के सिद्धान्तों को ग्रहण करने के लिए उस प्रणाली में सुधार लाने का राज्य सरकार का संकल्प, अन्य बातों के साथ–साथ उन अधिनियमितियों के पुनर्विलोकन से प्रारम्भ हुआ है जो अप्रचलित, व्यर्थ और अनावश्यक हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने में राज्य सरकार ने असंगत एवं व्यर्थ विधियों को हटाने के उद्देश्य से विधियों तथा विधिक प्रणाली का व्यापक पुनर्विलोकन करने का दायित्व ग्रहण किया है।

राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश संहिता में संहिताकृत वर्ष 1976 तक अधिनियमित किये गये अप्रचलित, व्यर्थ तथा अनावश्यक हो चुके 95 अधिनियमों का, प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बन्ध में सहमति प्राप्त करने के पश्चात राज्य विधान मण्डल के चालू सत्र में विधेयक पुरःस्थापित करके, निरसन करने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक, 2018 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव।

———

No. 1924 (2)/LXXIX-V-1–18-1(ka)-16-18

Dated Lucknow, September 10, 2018

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2018 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 39 of 2018) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2018.

THE UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2018

(U.P. ACT no. 39 OF 2018)

[As Passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to repeal certain enactments.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:-

Short title — 1. This Act may be called the Uttar Pradesh Repealing Act, 2018.

Repeal of certain enactments — 2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.

Savings — 3. The repeal by this Act of any enactment shall not,-

(a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

(b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

(c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or